

राजस्थान – सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/अध्ययन अवकाश/पीजी-2023/2024/24

दिनांक : 24/01/2024

–: आदेश :-

निम्न लिखित सेवारत चिकित्सक का उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का अध्ययन अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है :-

झालावाड मेडिकल कॉलेज, झालावाड

क. सं.	चिकित्सक का नाम	जन्म तिथि	राज्य सेवा में प्रथम कार्यग्रहण तिथि	जिस विषय में पीजी कर रहे का नाम	अध्ययन अवकाश की अवधि
1	डॉ० महिपाल चौधरी	05.05.1994	28.03.2020	मेडिसिन	01.11.23 से 31.10.26
2	डॉ० नरसी राम	15.02.1993	27.03.2020	मेडिसिन	01.11.23 से 31.10.26

एसएन मेडिकल कॉलेज, जोधपुर

क. सं.	चिकित्सक का नाम	जन्म तिथि	राज्य सेवा में प्रथम कार्यग्रहण तिथि	जिस विषय में पीजी कर रहे का नाम	अध्ययन अवकाश की अवधि
1	डॉ० शिवांगी खाण्डल	14.08.1993	20.12.2020	ईएनटी	01.11.23 से 31.10.26
2	डॉ० नरेश कुमार	09.09.1990	21.12.2020	टीबी एण्ड चैस्ट	01.12.23 से 30.11.26
3	डॉ० नरेन्द्र कुमार चौधरी	01.01.1987	24.02.2015	मेडिसिन	01.11.23 से 31.10.26
4	डॉ० हितेश पुरोहित	12.12.1996	18.12.2020	मेडिसिन	02.11.23 से 01.11.26
5	डॉ० इरशाद अली खान	19.07.1990	28.07.2017	निश्चेतन	03.11.23 से 02.11.26

राजकीय मेडिकल कॉलेज, कोटा

क. सं.	चिकित्सक का नाम	जन्म तिथि	राज्य सेवा में प्रथम कार्यग्रहण तिथि	जिस विषय में पीजी कर रहे का नाम	अध्ययन अवकाश की अवधि
1	डॉ० मन्सूर अली	01.03.1989	20.08.2018	मेडिसिन	01.11.23 से 31.10.26

राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, पाली

क. सं.	चिकित्सक का नाम	जन्म तिथि	राज्य सेवा में प्रथम कार्यग्रहण तिथि	जिस विषय में पीजी कर रहे का नाम	अध्ययन अवकाश की अवधि
1	डॉ० रेखा चौधरी	23.08.1983	14.05.2013	फिजियोलोजी	27.10.23 से 26.10.26
2	डॉ० अमित जोशी	30.05.1988	23.03.2015	एनाटोमी	01.11.23 से 31.10.26
3	डॉ० रवि सारस्वत	20.11.1986	02.06.2016	डीएनबी (फैमिली मेडिसिन)	01.12.23 से 30.11.25
4	डॉ० जय सिंह	05.08.1981	03.06.2016	डीएनबी (फैमिली मेडिसिन)	01.11.23 से 31.10.25

उक्त आदेश पूर्व में अध्ययन अवकाश का लाभ प्राप्त नहीं किये जाने की स्थिति में ही मान्य होगा एवं अग्रिम कार्यवाही से पूर्व सम्बन्धित महाविद्यालय अध्ययन अवकाश की सभी शर्तों की पालना सुनिश्चित कर लेंगे।

उक्त आदेश राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 05.07.2022 एवं प्राप्त निर्देशों के अनुसरण में जारी किये गए हैं।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

दिनांक : 24/01/2024

क्रमांक : राजपत्रित/अध्ययन अवकाश/पीजी-2023/2024/24
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर
3. सम्बन्धित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान ।
4. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान ।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय ।
6. कार्यालय अधीक्षक एटीसी/डीपीसी सैल, राजपत्रित मुख्यालय ।
7. प्रभारी सर्वर रूम को भेज कर लेख है कि आज ही विभाग की वैबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें ।
8. रक्षित/निजी पत्रावली ।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
5388345

Document certified by RAVI PRAKASH
MATHUR <directorph-rk@nic.in>

Digitally Signed by RAVI
PRAKASH MATHUR
Designation: Director
Date :24-01-2024 12:08:07